भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2710

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

ओडिशा में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

2710. श्री अनन्त नायक:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और उसके बाद रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा ओडिशा में खनन, इस्पात, कृषि और मत्स्यपालन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ओडिशा में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष नीति कार्यान्वित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जैसे जनजातीय बहुल जिलों में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) : भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

(सीटीएस), के जरिए ओडिशा राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार और उद्योग प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ओडिशा राज्य में एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

स्कीम	**प्रशिक्षित**
पीएमकेवीवाई)वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024 तक(	5,98,174
जेएसएस)वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक(	2,65,645
एनएपीएस)वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक(	45,285
आईटीआई)वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक(	3,27,281

कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के युवाओं को बाजार के अनुकूल कौशल से लैस करना है ताकि वे वेतन या स्व-रोजगार में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। एमएसडीई की योजनाओं में, योजना के पहले तीन संस्करणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जिसे वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया था। पीएमकेवीवाई के इन तीन संस्करणों में ओडिशा राज्य में नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या 70,773 बताई गई है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध कैरियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

(ख): एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल को वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित करने के लिए, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) संबंधित क्षेत्रों में उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं। क्षेत्र विशेष एसएससी में भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई), भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद तथा खनन क्षेत्र कौशल परिषद (एससीएमएस) शामिल हैं।

(ii) वर्ष 2020 से, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 4387 नई अर्हताओं को मंजूरी दी है और 4419 अर्हताओं को संग्रहीत किया है जो प्रासंगिक नहीं हैं।

(iii) डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों के अनरूप बनाया जा सके।

(v) पीएमकेवीवाई के तहत, आधुनिक/भावी कौशल जॉब रोलों को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है।

(vi) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 आधुनिक/भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने नवाचार, स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया पहल की शुरुआत की। स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफ़एफ़एस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफ़एस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख योजनाएं स्टार्टअप को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत और ओडिशा राज्य में क्रमशः 1,61,150 और 2828 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने क्रमशः 17.69 लाख और 34,219 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमएस) उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्व-रोजगार या उद्यमशीलता को कैरियर विकल्पों में से एक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता-निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। पिछले वित्तीय-वर्ष (2023-24) में, ईएसडीपी योजना के तहत, देश भर में और ओडिशा राज्य में क्रमशः कुल 7,496 और 222 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे क्रमशः लगभग 3.5 लाख और 10,348 प्रशिक्षु लाभान्वित हुए।

(ङ): युवाओं की नियोज्यता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) आदि, जैसी विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है। सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, नौकरी बाजार में औपचारिकता को बढ़ावा देने और नियोज्यता में सुधार के लिए केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 में रोजगार से जुड़ी संवर्धन योजना की घोषणा की है।

*****